न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस0

<u>पंचायत निगरानी संख्या 12/2010</u>

प्रार्थीगण		**विप्रार्थीगण**
चिमनाराम पुत्र रहिंगाराम जाति मेगवाल निवासी कल्याणपुर जिला बाड़मेर	बनाम	1. संजय कुमार पुत्र मुरलीधर निवासी समदड़ी तहसील सिवाना 2. ग्राम पंचायत कल्याणपुर जिला बाड़मेर

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 बाबत् निरस्त करने पट्टा संख्या 04 दिनांक 16.8.1991 जो ग्राम पंचायत कल्याणपुर द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 के पिता मुरलीधर के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थितः— 1. प्रार्थी उपस्थित।
2. विप्रार्थी अनुपस्थित।
3. विप्रार्थी संख्या 02 की ओर ग्राम सेवक कल्याणपुर उपस्थित

<u>निर्णय</u> **दिनांक 15.6.2016**

1. प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत कल्याणपुर द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 के पिता मुरलीधर के नाम जारी भूखण्ड का पट्टा संख्या 04 दिनांक 16.8.1991 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि विप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत कल्याणपुर द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 के पिता मुरलीधर को भूखण्ड का पट्टा संख्या 04 दिनांक 16.8.1991 नियम विरूद्व निःशुल्क जारी किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 के पिता द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 को गलत जानकारी दी जाकर पट्टा जारी करवाया गया। पूर्णतया नियमो की अनदेखी की जाकर विप्रार्थी संख्या 01 के पिता को निजी लाभ पहुंचाने के उद्वेश्य से पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

3. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये एवं ग्राम पंचायत कल्याणपुर से उक्त विवादित पट्टे से संबधित रेकर्ड तलब किये जाने पर ग्राम सेवक कल्याणपुर द्वारा उक्त पट्टे से सम्बन्धित मिसल एवं अन्य दस्तावेजात ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध नहीं होना बताया।

4. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राजस्व केम्प कोर्ट पचपदरा में प्रस्तुत हुई, जिसके लिये अभय पक्ष के अभिभाषकगण एवं पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित रहे। विप्रार्थी सं0 01 अनुपस्थित।

5. प्रार्थी द्वारा जाहिर किया गया कि ग्राम पंचायत कल्याणपुर को विप्रार्थी संख्या 01 के पिता द्वारा गलत दी गई जानकारी के आधार पर निःशुल्क पट्टा जारी किया गया है, जबकि विप्रार्थी संख्या 01 के पिता निःशुल्क पट्टा प्राप्त करने के हकदार नहीं थे। विप्रार्थी संख्या 01 के पिता समदड़ी के निवासी है इनका समदड़ी व सिवाना में व्यवसाय है। ग्राम पंचायत कल्याणपुर द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व न तो कोई मिसल कायम की गई एवं न ही पंचायत के पास पट्टा बुक उपलब्ध है, इससे जाहिर होता हैं कि विप्रार्थी संख्या 01 के पिता को नियम विरूद्व लाभ पहुंचाये जाने की दृष्टि से उक्त पट्टा जारी किया गया है।

6. हमने उभय पक्ष को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत कल्याणपुर द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 के पिता मुरलीधर को पट्टा संख्या 4 (1991–92) दिनांक 16.8.1991 निःशुल्क जारी किया गया है। उक्त पट्टे से सम्बन्धित मिसल, पट्टा बुक एवं अन्य दस्तावेजात ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध नहीं है। ग्राम सेवक कल्याणपुर द्वारा बताया गया कि वर्तमान में उक्त विवादित भू खण्ड में टीनशेड बना हुआ है, किसने बनाया, यह उसकी जानकारी में नहीं है। विप्रार्थी संख्या 01 के पिता को पट्टा 1991 में जारी किया गया तथा प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी वर्ष 2010 में देरी का समुचित कारण बताये बिना दायर की गई। ग्राम पंचायत कल्याणपुर के पास उक्त विवादग्रस्त पट्टे से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नहीं होने से यह निर्णय किया जाना कठिन हैं कि विप्रार्थी संख्या 01 के पिता मुरलीधर को तत्समय जारी किया गया पट्टा संख्या 4 दिनांक 16.8.1991 राज. पंचायती राज अधिनियम के तहत निर्धारित प्रकिया अपनाई जाकर नियमानुसार जारी किया गया है अथवा नहीं? लिहाजा प्रार्थी की अपील खारिज योग्य है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी खारिज की जाकर ग्राम पंचायत कल्याणपुर द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 के पिता को जारी किया गया पट्टा संख्या 4 दिनांक 16.8.1991 यथावत रखा जाता है।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अपर कलक्टर,बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय कोर्ट केम्प पचपदरा में आज दिनांक 15.6.2016 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर,बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)